राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 1(8)ग्रावि/नरेगा/विविध/2010–11 जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

24 JUN 2010

विषयः महात्मा गांधी नरेगा एवं स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के क्रियान्वयन के स्थान पर जन्म–मृत्यु पंजीयन संबन्धी जानकारी का पोस्टर चस्पा करने बाबत।

संदर्भः मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर के पत्रांक 19444 दिनांक 27.05.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के तहत आप जिला पंजीयक भी है। राज्य में जन्म–मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण कराना कानूनन अनिवार्य है। जन्म रजिस्ट्रीकरण के पश्चात जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, वह विद्यालय में प्रवेश, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, नौकरी, मताधिकार आदि के काम आता है तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के पश्चात जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वह बीमा राशि पाने, सम्पति दावें निपटाने तथा भूमि नामान्तरण आदि के काम आता है।

जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभों की जानकारी का प्रचार प्रसार करने के लिये प्रमुख शासन सचिव, आयोजना की अध्यक्षता में जन्म–मृत्यु संबन्धी कार्य की देख रेख हेतु गठित राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति की आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी नरेगा एवं स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के क्रियान्वयन के स्थान पर जन्म–मृत्यु पंजीयन संबन्धित जानकारी का पोस्टर चस्पा कराया जायें। इन योजनाओं के प्रचार प्रसार की सामग्री में जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्रों के लाभ एवं उपयोगिता को जोडा जायें।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिन स्थानों पर नरेगा के तहत कार्य चल रहे है, उन स्थानों पर जन्म मृत्यु पंजीयन की आवश्यकता के पोस्टर लगाने एवं इस योजना के लाभों को जोडने हेतु प्रचार–प्रसार करवाने का श्रम करावें।

भवदीय
23/6/10
(रामनिवास मेहता)
परियोजना निदेशक एवं उपसचिव, ईजीएस